न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 06/2024 (RCMS : 2024/13)

1. **मखन सिंह** पुत्र चन्द सिह जाति जटसिख निवासी 2 एलएनपी चकमहाराजका हाल निवासी एन–1 खालसानगर, श्रीगंगानगर (राज.)

<u>बनाम</u>

1. **बन्शी** पुत्र मुनीराम जाति नायक निवासी 10 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. **शान्ति देवी** पत्नी चुनीलाल निवासी वार्ड नम्बर–5 पुराना नया–35 पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ
3. **गीता** पुत्री चुनीलाल निवासी वार्ड नम्बर–5 पुराना नया–35 पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़
4. **सुनीता** पुत्री चुनीलाल निवासी वार्ड नम्बर–5 पुराना नया–35 पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़
5. **कन्हैया लाल** पुत्र चुनीलाल निवासी वार्ड नम्बर–5 पुराना नया–35 पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़
6. **सुभाष** पुत्र चुनीलाल निवासी वार्ड नम्बर–5 पुराना नया–35 पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>20.03.2024</u>

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बतरा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 174/2023 अनवानी मखन सिंह बनाम बन्शी वगै. अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की याचिका के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्री [illegible] का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। उपखण्ड अधिकारी, श्री[illegible] के स्थानान्तरण होने के कारण उनका मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है [illegible] उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:17:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 174/2023 अनवानी मखन सिंह बनाम बन्शी वगै. अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:17:52 IST
Reason: SelfAttested